राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जे.एन.मथुरिया (आर.ए.एस.)

आर.सी.एम.एस 2014/00025
अपील संख्या 73/14 (223 आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. लोकेश कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।
2. पालेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष पुत्र सुरेश नाबालिग जरिये माता पूरनदेई पत्नि सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।
3. पूरनदेई पत्नि सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांटान

बनाम

1. सुरेश पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2014 न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर वमुकदमें उनवानी लोकेन्द्र कुमार बनाम सुरेश पत्रावली संख्या 445/2010

उपस्थिति :– वकील अपीलांट श्रीमति प्रभारानी एड़।

निर्णय दिनांक 04.10.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा 828/0.21, 830/0.32, 848/0.14, 850/0.33, 876/0.08, 882/0.15, 884/0.20, 930/0.09, 931/0.09, 932/0.09, 933/0.07, 934/0.06, 1269/0.14, 1271/0.13, 1275/0.14 किता 16 रकवा 248 ऐयर में प्रतिवादी अपीलांट सं01, 1/4 हिस्से का एवं आराजी ख0न0 1258/0.09, 1260/0.22, 1375/0.05, 1377/0.21, 1391/0.30, 1411/0.26, 1583/0.08 किता 7 रकवा 121 ऐयर में प्रतिवादी न0 1 सम्पूर्ण का आराजी ख0न0 1276/0.06, 1277/0.09, 1278/0.08, 1279/0.10, 1307/0.11 किता 5 रकवा 44 ऐयर मे प्रतिवादी न0 1 एक हिस्से का खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी वाके ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है। जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

प्रत्यर्थी के वावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा बहस सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान विवादित आराजी के सहकाश्तकार है एवं उनमें आपसी हक का विवाद होने के कारण हक भी तय करानें है। अधीनस्थ न्यायालय नें गलत तरीके से सम्पूर्ण वाद ही खारिज कर दिया है जबकि घोषणा का वाद प्रमाणित न होनें पर भी विभाजन का मामला तो स्वीकार किये जाने योग्य था। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे एवं वादीगण को उनके हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नें इन आधारों पर दावा खारिज किया है कि पति के जीवित रहते पत्नी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते, सहकाश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं विवादित आराजी पर स्थगन आदेश प्रभावी है। वकील अपीलार्थी इन तीन बिन्दुओं में से किसी भी बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं हुए है। अतः अपील अपीलार्थी साबित करनें में असफल रहनें के कारण खारिज की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 04.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील

(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री जगदीश नारायण मथुरिया (आर0ए0एस0)

आर.सी.एम.एस 2014 / 00025
अपील संख्या 73 / 14 (223आर.टी.एक्ट.)
उनवान

1. लोकेश कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र श्री सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।
2. पालेन्द्र कुमार उम्र 16 वर्ष पुत्र सुरेश नाबालिग जरिये माता पूरनदेई पत्नि सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।
3. पूरनदेई पत्नि सुरेश जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांटान

बनाम

1.सुरेश पुत्र मोती जाति जाट निवासी ग्राम धौर तहसील व जिला भरतपुर।
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 223 आर.टी.ए विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.02.2014 न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर वमुकदमें उनवानी लोकेन्द्र कुमार बनाम सुरेश पत्रावली संख्या 445 / 2010

यह अपील .....04.....माह.....10.....सन्.....2018.....व हमारे ...श्री प्रभारानी मिनजानिब अपीलाण्ट समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि वकील अपीलार्थी इन तीन बिन्दुओं में से किसी भी बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल नहीं हुए है। अतः अपील अपीलार्थी साबित करनें में असफल रहनें के कारण खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....)रूपये.....
. .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....**04** .....माह.....**10**.....सन्.....**2018**.....को जारी की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।